(429)

न्यायालय विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज., जयपुर।
(हाल कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर)

क्रमांक :— ओ.एस.डी. / नविवि / 17 / 1606 दिनांक :— 17-2-2017

—: अवार्ड :—

विषय :— केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा 11 सपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(क) के तहत राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना के अन्तर्गत ग्राम गोपालपुरा, तहसील व जिला बांरा में कुल करबा 14.63 हैक्टेयर का अवार्ड जारी करने बाबत।

संदर्भ :— अधिसूचना क्रमांक प.7(40)नविवि / III / 09 जयपुर दिनांक 13.09.2012

राजस्थान आवासन मण्डल हेतु सार्वजनिक हित में आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि अवाप्ति की अधिसूचना ग्राम गोपालपुरा, तहसील व जिला बांरा में कुल करबा 14.63 हैक्टेयर के लिए अन्तर्गत धारा 4(1) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 13.09.2012 को जारी की गयी जिसमें भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 4(2) के तहत विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, हाल कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर को भूमि अधिग्रहण हेतु अधिकृत किया गया। उक्त अधिसूचना का दिनांक 13.09.2012 को राजस्थान राज–पत्र के विशेषांक में प्रकाशन कराया गया। इसी प्रकार अधिसूचना का दो समाचार पत्रों "दैनिक भास्कर" व "राजस्थान पत्रिका" में कोटा संस्करण में दिनांक 22.12.2012 को प्रकाशन करवाया गया। सार्वजनिक हित में व्यापक प्रचार–प्रसार की दृष्टि से अधिसूचना के पब्लिक नोटिस दिनांक 13.02.2013 सम्बन्धित को जारी कर जरिए आवासीय अभियन्ता तामील करवाए गये जिनकी अन्तिम तामीली की दिनांक 28.02.2013 अंकित की गयी है। इस प्रकार धारा 4(1) की अंतिम प्रकाशन की तिथि 28.02.2013 निश्चित की गयी है।

प्रकरण में धारा 4(1) के प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त सभी आपत्तियों का निस्तारण कर राज्य सरकार को धारा 5ए के तहत मौका रिपोर्ट दिनांक 08.01.2014 को प्रेषित की गई जिसमें सम्पूर्ण भूमि कुल रकबा 14.63 हैक्टेयर की धारा 6 की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गया। राज्य सरकार द्वारा धारा 6 की अधिसूचना दिनांक 26.02.2014 को कुल रकबा 14.63 हैक्टेयर की जारी की गयी थी। अधिसूचना का राजस्थान के राजपत्र के विशेषांक में दिनांक 11.03.2014 को प्रकाशन करवाया गया तथा दो स्थानीय समाचार पत्रों "राष्ट्रदूत" व "दैनिक भास्कर" कोटा संस्करण में दिनांक 27.10.2014 को प्रकाशन करवाया गया। पब्लिक नोटिस अन्तर्गत धारा 6(2) दिनांक 03.03.2015 को जारी कर जरिए आवासीय अभियंता तामील करवाये गये जिसके अनुसार अन्तिम तामीली की दिनांक 14.03.2015 अंकित की गई। अवाप्ति प्रक्रिया में आगे व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु सार्वजनिक हित में धारा 9(1) के पब्लिक नोटिस दिनांक 08.05.2015 एवं धारा 9(3) के व्यक्तिगत नोटिस दिनांक 04.09.2015 को जारी कर जरिए आवासीय अभियंता तामील करवाये गये जिसमें खातेदारों से राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27.10.05 के क्रम में विकसित भूखण्ड लेने का विकल्प भी प्रस्तुत किया जा सकता है, बाबत सूचित किया गया। धारा 9(3) के व्यक्तिगत नोटिस के क्रम में किसी भी खातेदार ने विकसित भूखण्ड का विकल्प नही दिया।

(अर्जुन राम चौधरी)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

(430)

भूमि का विवरण धारा 6 की अधिसूचना के अनुसार निम्न प्रकार है :–

ग्राम गोपालपुरा, तहसील व जिला बांरा में कुल करबा 14.63 हैक्टेयर में अवाप्ताधीन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	विवरण
1	मंदिर श्री शान्तिनाथ जी विराजमान पाटनपोल कोटा	141	14.63 हैक्टेयर	माल द्वितीय

प्रश्नगत भूमि के अन्तर्गत धारा 9(1) के पब्लिक नोटिस एवं खातेदारों को व्यक्तिगत नोटिस धारा 9(3) के जारी किये। इस सम्बन्ध में मण्डल द्वारा दिनांक 21.04.2016 को सूचित किया की योजना को विकसित करने हेतु उक्त भूमि को अवाप्त किया जाना अतिआवश्यक है। अतः अग्रिम कार्यवाही करवाने का श्रम करें। निम्नलिखित खसरो के अन्तर्गत हितधारियो ने आपत्तियां प्रस्तुत की जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

खसरा नं. 141 मे श्री पंचायत बघेरवालान श्री महावीर जी, नमिश्वरजी पाटनपोल कोटा जरिये अधिवक्ता विकास जैन/अरूण जैन प्रर्थना की की उपरोक्त ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र क्रमांक 122 दिनांक 08.021962 को राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत जारी किया हुआ है के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज पूर्व में प्रस्तुत किये जा चुके है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(क) के तहत मुआवज़ा दिया जावे।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया जिसमें विलीनीकरण आलेख, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, सर्वजनिक प्रन्यास अधिनियक 1959 का सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर का प्रमाण पत्र, दखलनामा, राजस्व बोर्ड का निर्णय दिनांक स्पष्ट नही है कि छाया प्रति प्रस्तुत की। प्रस्तुत दस्तावेजो (छाया प्रति) से स्पष्ट है कि वर्तमान में भूमि ट्रस्ट के पास होना साबित नही होता। प्रार्थना आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर मुआवजा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(क) के तहत् ही निर्धारण किया जाता है।

खसरा नं. 141 :– इस के अतिरिक्त एक प्रार्थना पत्र भी अशोक कुमार जैन अध्यक्ष देसी ओसवाल पंचायत कोटा प्रस्तु किया जिसमें मुख्य प्रार्थना भूमि अवाप्त नही की जावे यदि अवाप्त की जावे तो मुआजवा राशि धर्मेश शाह को नही दी जावे बाबत् प्रेषित किया।

प्रकरण में दस्तावेजो का अवलोकन किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये। जिससे उनके स्वामित्त्व/मालिकाना हक सिद्ध नही होता है। अतः आपत्ति स्वीकार नही है।

खसरा नं. 141 में प्रार्थी श्री पार्श्वनाथ ट्रस्ट बडा उपासरा रामपुरा बाजार, कोटा जर्ये मैनेजिंग ट्रस्टी धर्मेश शाह, बडा उपासरा कोटा ने प्रार्थना की श्री पार्श्वनाथ ट्रस्ट बडा उपासरा रामपुरा बाजार, कोटा न्यायालय जिला जज कोटा के आदेश दिनांक 30.04.1965 से देव स्थान विभाग उदयपुर में रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। मूर्ति श्री पार्श्वनाथ ट्रस्ट बडा उपासरा रामपुरा बाजार, कोटा की चल

431

अचज सम्पत्ति बारां जिले में स्थित है। खसरा नं. 141 मंन्दिर श्री शान्ति नाथ जी मूर्ति श्री पार्श्वनाथ ट्रस्ट बडा उपासरा रामपुरा बाजार, कोटा की सम्पत्ति है। राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 16.05.1980 से उक्त खसरा श्री पार्श्वनाथ ट्रस्ट बडा उपासरा रामपुरा बाजार, कोटा की जायदाद प्रमाणित है। पुज्य सुमति सागर सुरी के वसीयत नामा दिनांक 22.04.1961 से उक्त आराजीयात पुज्य पुनम सागर सुरी को विरासत में प्राप्त हुई उन्होने अपने जीवन काल में धर्मेश शाह को प्रपत्र संख्या 8 क में विधिवत देवस्थान विभाग द्वारा दिनांक 01.06.2012 को वारिस दर्ज किया। इस सम्बन्ध में श्री पंचायत बघेरवालान द्वारा प्रस्तुत आपत्तिया आधारहीन है। इस के अलावा अशोक कुमार ओसवाल पंचायत के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 34/2012 को दिनांक 30.04.2013 से निरस्त कर दिया गया। अतः भूमि अवाप्ति अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार मूर्ति श्री पार्श्वनाथ ट्रस्ट को मय ब्याज समेत नकद भुगतान अविलम्ब किया जावे।

प्रकरण में दस्तावेजो को अवलोकन किया की प्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में विरासत सर्टीफिकेट, वसीयत सूमति सागर सूरी, जिला जज कोटा का निर्णय, न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश कोटा का निर्णय, सहायक आयुक्त देव स्थान का प्रमाण पत्र, अतिरिक्त जिलाधीश जागीर कोटा का निर्णय, राजस्व बोर्ड का निर्णय, राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय, सहायक आयुक्त देव स्थान विभाग कोटा का निर्णय, वसीयत पूनम सागर सूरी, जमाबन्दी खसरा नं. 141, पार्श्वनाथ ट्रस्ट बडा का विधान, सहमति पत्र श्री पार्श्वनाथ ट्रस्ट आदि की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी मूर्ति श्री पार्श्वनाथ ट्रस्ट के नाम न होकर मंदिर श्री शान्तिनाथ जी विराजमान पाटनपोल कोटा दर्ज होने के कारण प्रर्थना आंशिक रूप से स्वीकार की जाति है। अर्थात मुआवजा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(क) के तहत् ही निर्धारण किया जाकर मालिकाना हक बाबत् सक्षम न्यायालय को रेफर किया जाता है।

भूमि का मुआवजा निर्धारित करने हेतु सम्बन्धित आवासीय अभियंता से धारा 4(1) की अधिसूचना की दिनांक 13.09.2012 को प्रचलित भूमि की डी.एल.सी. दरें की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी, सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस व तकमोना मंगवाने हेतु आवासीय अभियन्ता को दिनांक 17.05.2013 को सूचित किया गया। जिसके जवाब में आवासीय अभियन्ता ने दिनांक 06.06.2013 को डी.एल.सी. दरे, जमाबन्दी, व नक्शा प्रेषित किया साथ ही ये भी सूचित किया की भूमि मौके पर पूर्णतः रिक्त है और तकमीना की कोई आवश्यका नही है। इस के उपरान्त अवार्ड निर्धारण बाबत् राज्य में लागू नवीन अधिनियम की धारा 23 के तहत् किये जाने हेतु धारा 4(1) की अधिसूचना दिनांक 13.09.2012 से पूर्ववर्ती तीन वर्षो के दौरान ग्राम गोपालपुरा तहसील व जिला बांरा तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र में अवाप्ताधीन भूमि की समकक्ष भूमि के लिए रजिस्ट्रर्ड विक्रय विलेखों के आधार पर औसत विक्रय मूल्य क्या रहा था योजना नगर परिषद बारां क्षेत्राधिकार में अवस्थित है अथवा ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है की सूचना आवासीय अभियन्ता से पत्र दिनांक 07.04.2015, 15.06.2015 व उप पंजीयक बांरा को पत्र दिनांक 07.04.2015, 15.06.2015 के द्वारा चाही गई। जिसके पत्युत्तर में आवासीय अभियन्ता ने अपने पत्रांक 695 दिनांक 03.07.2015 के द्वारा उप पंजियक बारां से प्राप्त डी.एल.सी. दरें व बारां के शहरी क्षेत्र नगर परिषद के क्षेत्राधिकार में अवस्थित होने व न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नही होने के साथ ही उप पंजीयक बारां द्वारा भी दिनांक 19.08.2015 को डी.एलस.सी. दरें प्रेषित की गई।

आवासीय अभियन्ता को दिनांक 27.12.2016 को खसरा नं. 141 रकबा 14.63 हैक्टेयर भूमि मे सड़क से 200 मीटर की परिधी में कितना रकबा अवस्थित है कि सूचन चाह गई। प्रत्युत्तर में आवासीय अभियन्ता द्वारा दिनांक 04.01.2017 को उप पंजीयक बारां की डीएलसी दरे प्रेषित की गई, पुनः दिनांक 06.02.2017 उक्त सूचना चाही गई।

उप पंजीयक बारां से प्राप्त डी.एल.सी. दरे (औसत विक्रय मूल्य वर्ष 2009, 2010, 2011) निम्न प्रकार से है।

पंजीबद्व दस्तावेजों के अनुसार जो कि (डी.एल.सी. दरो के अनुसार) न्यूनतम एवं अधिकतम प्रतिफल राशी प्रति बीघा

ग्राम गोपालपुरा तहसील व जिला बारां

क्र. सं.	वर्ष	बारां नगर पालिका क्षेत्र मे आने वाले ग्रांम गोपालपुरा की कृषि भूमि की दर प्रति बीघा में			
		सिंचित भूमि		असिंचित भूमि	
		सड़क व आबादी के पास 100 मीटर तक	सड़क व आबादी से दूर	सड़क व आबादी के पास 100 मीटर तक	सड़क व आबादी से दूर
1.	2009	2,00,000	1,75,000	1,50,000	1,25,000
		सड़क आबादी से 200 मीटर तक	सड़क व आबादी से दूर	सड़क आबादी से 200 मीटर तक	सड़क व आबादी से दूर
2	2010	4,02,500	3,45,000	3,45,000	2,30,000
3.	2011	4,84,000	3,85,000	4,18,000	2,58,500

वर्ष 2012 की डी.एल.सी. (कृषि) दरे उप पंजीयक बारां के अनुसार निम्न प्रकार से है।

क्र. सं.	वर्ष	बारां नगर पालिका क्षेत्र मे आने वाले ग्रांम गोपालपुरा की कृषि भूमि की दर प्रति बीघा में			
		सिंचित भूमि		असिंचित भूमि	
		सड़क व आबादी के पास 200 मीटर तक	सड़क व आबादी से दूर	सड़क व आबादी के पास 200 मीटर तक	सड़क व आबादी से दूर
1.	2012	4,85,000	3,85,000	4,20,000	2,60,000

दर का निर्धारण :– अधिसूचना में खातेदारो की भूमि में तीन वर्षो के पंजीबद्व दस्तावेजों का अर्थात डी.एल.सी. के न्यूनतम/अधिकतम दरों का अवलोकन किया गया जो कि सम्बन्धित वर्ष की डी.एल.सी. दरो से कम होने के कारण मुआवजा निर्धारण का आधार सम्बन्धित वर्ष 2012 को प्रचलित डी.एल.सी. ग्राम गोपालपुरा में असिंचित भूमि की दर सड़क आबादी के पास 200 मीटर तक 4,20,000/– व सड़क आबादी से दूर 2,60,000/– रूपये प्रति बीघा है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानो के अनुसार तीन वर्षो का औसत विक्रय मूल्य ओर धारा 4(1) के समय प्रचलित डी.एल.सी. दर में जो अधिक होगा मुआवजा स्वरूप वह देय होगा। अतः मेरी राय में अवाप्ताधीन खसरा नं. 141 रकबा 14.63 हैक्टेयर (कृषि भूमि असिंचित) का अधिकतम हिस्सा 200 मीटर से अधिक में समाहित होने के कारण आवासीय योजना हेतु उपयुक्तता एवं भविष्य में होने

453

वाले विकास तथा पौटेन्शियलटी को ध्यान में रखते हुये भू–अर्जन अधिनियम की धारा 26 में वर्णित दिग्दर्शकों के अनुसरण में तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त समस्त अवाप्ताधीन भूमि ग्राम गोपालपुरा तह. व जिला बारां का उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ किया जायेगा। अतः निम्नानुसार दर निर्धारण करना उचित समझता हूं।

कृषि भूमि की दर :– ग्राम गोपालपुरा, सड़क आबादी से दूर 2,60,000/– रूपये प्रति बीघा अर्थात 16,059/– रूपये प्रति ऐयर।

आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल बारां ने अपने पत्र दिनांक 03.07.2015 से अवगत करवाया है कि ग्राम गोपालपुरा, तह. व जिला बारां में अवाप्ताधीन भूमि का खसरा नं. 141 बारां नगर परिषद क्षैत्र में अवस्थित है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत मुआवजा निर्धारण करते समय अनुसूची प्रथम के अनुसार ग्राम गोपालपुरा, तह. व जिला बारां क्षेत्र में होने के कारण बाजार मूल्य कारक एक से गुणित किया जावेगा इस दशा में जो निर्धारण उपरोक्तानुसार किया गया है उसी अनुसार मुआवजा देय है। उपरोक्त के अलावा शत प्रतिशत तोषण (Solatium) देय होगा।

मुआवजे की गणना निम्नानुसार है :–

<u>ग्राम गोपालपुरा।</u>

क्र. सं.	वाद संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल है. में	नगद मुआवजा	
1	7(40)/3/9/01	मंदिर श्री शान्तिनाथ जी विराजमान पाटनपोल कोटा	141	14.63	16,059 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	2,34,94,317
					तकमीना	शून्य
					योग अ	2,34,94,317
					100 प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	2,34,94,317
					योग अ+ब	4,69,88,634
					प्रकरण सक्षम न्यायालय को रेफर किया जाता है।	

ग्राम गोपालपुरा, तहसील बारां, जिला बारां में कुल रकबा 14.63 हैक्टेयर भूमि अवाप्ताधीन है। अतः सम्पूर्ण भूमि का अवार्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(क) के तहत् प्रेषित किया जा रहां है।

खातेदारों को उपयुक्त मुआवजा राशि के अतिरिक्त भूमि की कीमत पर धारा 23(1)ए के नियमानुसार 12 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा राशि धारा 4(1) के अन्तिम नोटिफिकेशन ऑफ पब्लिकेशन से भूमि पर कब्जा लेने या अवार्ड जारी करने तक की दिनांक जो भी पहले से न्यायालय में स्थगन की अवधि यदि कोई हो तो छोड़कर देय होगा साथ ही भू–अर्जन अधिनियम धारा 34 के अनुसार कब्जे की दिनांक से नहीं भुगतान की गयी राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक दर से 1 वर्ष की अवधि तक तथा 1 वर्ष के पश्चात् भुगतान की जाने वाली राशि पर भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा जो कि **मुआवजा भुगतान में देरी ना हो उपरोक्तानुसार गणना मण्डल स्तर पर की जा सकेगी।**

134

संरचनाओं (स्थाई व अस्थाई निर्माण) का मूल्यांकन आवासीय अभियन्ता से प्राप्त तकमीना रिपोर्ट जो कि प्रचलित बी.एस.आर. की दरों पर आधारित होती है तथा उसी के अनुसार तय की जाती है। लेकिन आवासीय अभियन्ता खण्ड बारां अपने पत्र दिनांक 06.06.2013 द्वारा सूचित किया की मौके पर कोई तकमीना नही है। अतः प्रस्तावित तकमीना शुन्य है।

मुआवजा राशि वर्तमान जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल नामान्तरण आदि राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रति एवं किसी बैंक में रहन होने की स्थिति में सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश करने पर ही यथोचित पहचान उपरान्त दिया जावेगा। किसी हितधारी की मृत्यु होने की दशा में वारिसान में विवाद न होने पर नामान्तरण व हाल जमाबन्दी में अंकित उत्तराधिकारियों को हिस्सेनुसार मुआवजा राशि व विकसित भूखण्ड दिये जावेंगे, किसी सक्षम सिविल/राजस्व/उच्चतर न्यायालय में विवाद विचाराधीन होने पर उक्त अवार्ड सम्बन्धित न्यायालय के आदेशों/निर्णयों के अध्याधीन होगा तथा तदनुसार संशोधित किया जा सकेगा।

अतः भूमि का अवार्ड प्रारूप आज दिनांक 17-2-2017 को तैयार कर संयुक्त शासन सचिव, प्रथम नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर को अनुमोदनार्थ दोहरी प्रतियों में प्रेषित किया जा रहा है।

(राजेन्द्र प्रसाद यादव)
विशेषाधिकारी
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

किसान के पत्र 01/2/17 की शर्त अनुसार अनुमोदित।
01/02/17

(अर्जुन राम चौधरी)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्र क्रमांक प.7(40)नविवि/3/2009 जयपुर दिनांक 01.03.2017 के द्वारा अवार्ड का अनुमोदन सक्षम स्तर पर लिए गये निर्णयानुसार स्वीकृति स्वामित्व के परीक्षण व अवाप्ति अधिनियमों में दिये गये प्रावधानों की पालना की शर्त पर नवीन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया। अतः इसी के अनुरूप उक्त अवार्ड को सरे इजलास घोषित किया जाकर मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से दिनांक ...1.3.2017......... को जारी किया गया।

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार अवार्ड सम्बन्धित पत्रावलियों में शामिल किया जाकर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 12(2) के अन्तर्गत सभी हितधारियों को अवार्ड की प्रति जरिए नोटिस सूचित किया जावें।

(राजेन्द्र प्रसाद यादव)
विशेषाधिकारी
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

दिनांकः- 1-3-2017

क्रमांकः-ओ.एस.डी./न.वि.वि/17/1627

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं

1. संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. तहसीलदार - बारां,
4. सम्बन्धित खातेदार।
5. अवार्ड पत्रावली।

(राजेन्द्र प्रसाद यादव)
विशेषाधिकारी
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर